लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

ई–मेल – **physicaldpi@mp.gov.in**

क्रमांक / शा.शि. / एस / वि.खे. / 2016–17 / 1175 भोपाल, दिनांक 29/12/2016

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, संभाग म.प्र.।

विषयः– वर्ष 2016–17 में आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :– वर्ष 2016–17 में जारी राज्य स्तरीय खेल कैलेण्डर के क्रम में।

––"––

विषयांतर्गत के संबंध में जारी संबंध में जारी संदर्भित खेल कैलेण्डर के क्रम में निम्नानुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है :–

स. क्र.	खेल का नाम	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि
1	क्रिकेट	नीमच	12 से 15 जनवरी 2017
2	एथलेटिक्स / टेनिसबॉल क्रिकेट / लगोरी	विदिशा	09 से 12 जनवरी 2017
3	बैडमिंटन / टेबल टेनिस	सतना	29 से 31 जनवरी 2017
4	कबड्डी / व्हॉलीबॉल	हरदा	29 से 31 जनवरी 2017

उपरोक्तानुसार समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अनिवार्यतः दल की सहभागिता सुनिश्चित करावें।

<u>प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु अधिकारी / कर्मचारी के पात्रता हेतु आवश्यक निर्देश</u>

01 / वालीवाल, कबड्डी, टीम में 03, क्रिकेट, खेल में 04 खिलाड़ी अशासकीय संस्था के, वालीबाल कबडडी, में 03 खिलाड़ी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं में 02 खिलाड़ी तथा एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट में 01–01 खिलाड़ी अशासकीय संस्था से संभागीय दल में सम्मिलित किये जा सकते है। (शासकीय कर्मचारी को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जावे)

02 / विभागीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी का स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत होना आवश्यक है।

03 / अशासकीय संस्था के कर्मचारियों की सहभागिता हेतु आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, साथ ही वह कर्मचारी वर्तमान संस्था में कम से कम 03 वर्षो से कार्यरत होना आवश्यक है।

04 / प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले संभागीय दलो के खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स की भोजन, आवास, यातायात, कीड़ागण आदि की व्यवस्था आयोजनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

05 / खिलाड़ी की पात्रता के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति की स्थिति में संदर्भित अशासकीय संस्था के कर्मचारी को सैलरी बैंक खाता का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

06/ संभागीय संयुक्त संचालक कार्यलय में कार्यरत सहायक संचालक (खेल) इस तथ्य की पुष्टि कर ले कि संचालनालय से जारी निर्देश के क्रम में संभागीय दल में चयनित किये जाने वाले कर्मचारी अशासकीय संस्था में कार्यरत है अथवा नही? अपात्र चयन की स्थिति का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

07/ इस प्रतियोगिता हेतु ''राज्य स्तरीय स्कूल शिक्षा संस्थान'' का दल भी एक संभाग के रूप में सहभागिता करेगा जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. राज्य ओपन, स्कूल शिक्षा विभाग, शास. आवासीय खेलकूद संस्था, सीहोर, शास.शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड, में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सहभागिता हेतु पात्र होंगे।

08/ विभागीय अधिकारी/कर्मचारियो को किराये एवं भोजन की व्यवस्था संचालनालय से जारी निर्देश पत्र कमांक/शाशि./ई/05/11/101/भो.दि.19.03.2012 के क्रम में सुनिश्चित की जावेगी।

09/ समस्त प्रतिभागी खेल के अनुरूप किट में ही सहभागिता करेगें।

10/ प्रतियोगिता का समन्वय कार्य लोक शिक्षण संचालनालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक समन्वय समिति, म.प्र. के द्वारा संचालनालय के पत्र क. शाशि. /ए/03/2011–12/298 भोपाल दिनांक 05.08.2011 के क्रम में किया जावेगा।

"प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त"

(अंजु पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29/12/2016

पृ. क्रमांक/शा.शि./एस/वि.खे./2016–17/1176

प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख, सचिव, स्कूल शिक्षा, विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2/ आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3/ सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
4/ सचिव, मदरसा बोर्ड, भोपाल।
5/ संयुक्त संचालक, वित्त (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ
6/ संचालक, म.प्र. राज्य ओपन, स्कूल भोपाल।
7/ प्राचार्य, शास. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी।
8/ प्राचार्य, शास. आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर।
9/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी , म.प्र.।
10/ जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना एवं हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता का आयोजन आपके द्वारा किया जाना है, जिसके लिए बंटन उपलब्ध करा दिया गया है। प्रतियोगिता आयोजन से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं, पुरस्कार, प्रमाण–पत्र, क्रीड़ा सामग्री, क्रीड़ांगन, खिलाड़ियों का भोजन एवं उद्घाटन/समापन आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
11/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल/नर्मदापुरम/रीवा/उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन गरिमापूर्ण एवं स्तरीय हो इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए प्रतियोगिता आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

12/समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय द्वारा जारी विभागीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को ही अपना खेल कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त हो सके और अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परस्पर समन्वय स्थापित हो इसके लिए आवश्यक है कि संभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विभागीय दल अनिवार्यतः राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता करावें तथा संभागीय दल के चयन हेतु प्रतियोगिता /चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करें। सहभागिता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार यात्रा भत्ता के लिए पात्र होंगे।

13/ आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

14/उपसंचालक/सहायक संचालक (खेल) शारीरिक शिक्षा, (स्थानीय) लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

15/उपसंचालक, विद्या (स्थानीय) लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

16/ जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन एवं भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल राज्य स्तरीय विभागीय अधिकारी/कर्मचारी प्रतियोगिता के लिए प्रदत्त बंटन जिला कोषालय के माध्यम से नियमानुार बी.सी.ओ. को वापिस करना सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि परिवर्तित जिले को आवंटित की जा सके। उक्त कार्य को प्राथमिकता से संपादित करें।

17/ जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा एवं नीमच की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपको विभागीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु शीघ्र बंटन उपलब्ध कराया जावेगा। प्रतियोगिता संबंधी व्यवस्थाएं जिला क्रीड़ा अंशदान की राशि से की जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता का आयोजन आपके द्वारा किया जाना है, प्रतियोगिता आयोजन से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं, पुरस्कार, प्रमाण–पत्र, क्रीड़ा सामग्री, क्रीड़ांगन, खिलाड़ियों का भोजन एवं उद्घाटन/समापन आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

18/अध्यक्ष, लोक शिक्षण संचालनालय, खेलकूद एवं सांस्कृतिक समन्वय समिति, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल, म.प्र. की सूचनार्थ भेजकर लेख है कि संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुये प्रतियोगिता का गरिमापूर्ण आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश